



Neutral Citation No. - 2026:AHC:21717

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1827/2026

चंद्र देवयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्यप्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अनुज कुमार यादव, अशोक कुमार सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री बी. के. त्रिपाठी को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है :-

"(I) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3, उप-जिलाधिकारी सैदपुर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत वाद संख्या 4462/2025 (कंप्यूटर वाद संख्या T-202514290404462), चंद्रदेव बनाम वंशराज एवं अन्य (रिट याचिका के संलग्नक संख्या 5 में निहित) में उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2025 के तहत अंतिम रूप दी गई सीमांकन रिपोर्ट मय फील्ड बुक दिनांक 10.05.2025 को ध्यान में रखते हुए, सीमाओं पर खंभे (पिलर) लगवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए;

"(II) मण्डमस (परमादेश) की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3, उप-जिलाधिकारी सैदपुर को मौजा रफीपुर, परगना और तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर में स्थित भूखंड संख्या 243, क्षेत्रफल 0.0950 हेक्टेयर के संपूर्ण क्षेत्र पर याचिकाकर्ता को कब्जा प्रदान करने का निर्देश दिया जाए;"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आदेश दिनांक 15.07.2025 के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 3-उप-जिलाधिकारी, तहसील-सैदपुर, जिला गाजीपुर ने संबंधित प्राधिकारी को भूमि की सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने एक साथ जुड़ी रिट याचिकाओं, जिसमें मुख्य रिट सी संख्या **35470/2025** (मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य) है, में दिनांक 18.12.2025 को निर्णय देते हुए पैराग्राफ संख्या 44 से 46 में कुछ निर्देश दिए थे, जो इस प्रकार हैं:-

"44. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 उप-जिलाधिकारी को सीमा विवादों के संक्षिप्त निपटान के लिए वैधानिक अर्धन्यायिक शक्तियों के साथ-साथ सीमांकन और कब्जा बहाली के लिए अनिवार्य प्रवर्तन अधिकार प्रदान करती है। निष्पादन विवेकाधीन नहीं है बल्कि प्रावधान की प्रभावकारिता के लिए अभिन्न है—प्रवर्तन में विफलता संपूर्ण संक्षिप्त तंत्र को निष्फल कर देती है और विधायी मंशा को विफल करती है। तैयार किए गए व्यापक दिशानिर्देशों का उद्देश्य वैधानिक आदेशों (संहिता, 2006 की धारा 24; नियमावली, 2016 के नियम 22), कार्यकारी निर्देशों (शासनआदेश दिनांक 16.12.2025), प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों और निष्पक्षता एवं सार्वजनिक व्यवस्था को सवैधानिक अनिवार्यताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए एक संरचित ढांचा प्रदान करना है। संबंधित प्रत्यर्थी, विशेष रूप से उप-जिलाधिकारी और कलेक्टर, कानून के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि धारा 24 के तहत आदेश प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं।

45. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य, राज्य के भीतर सभी राजस्व अधिकारियों को उपरोक्त दिशानिर्देशों का राष्ट्रव्यापी प्रसार सुनिश्चित करेंगे। अनिवार्य प्रशिक्षण और आरसीसीएमएस प्रोटोकॉल अनुपालन प्रदान करने के लिए एक तंत्र भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

46. प्रत्यर्थी, विशेष रूप से संबंधित उप-जिलाधिकारियों को तत्काल निर्देश दिया जाता है कि वे रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच के सभी संबंधित आदेशों को, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर, अनुमोदित साइट मेमो/सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार कड़ाई से निष्पादित करें, और जहाँ भी आवश्यक हो, सीमा चिह्न लगवाना और कब्जा बहाली सुनिश्चित करें।"

5. मामले के इस परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है और प्रत्यर्थी संख्या 3-उप-जिलाधिकारी, तहसील-सैदपुर, जिला गाजीपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे कानून के अनुसार और साथ ही ऊपर उद्धृत मीना देवी (उपर्युक्त) के मामले में की गई टिप्पणियों के अनुसार आदेश दिनांक 15.07.2025 का कड़ाई से अनुपालन करें।

(प्रकाश पांडेया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"